न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर
पीठासीन अधिकारी –संजय शर्मा

जी.सी.एम.एस. संख्या 2024/181

निगरानी संख्या 28/2024

तारीख रजू 01.10.2024

1. नरेन्द्र पुत्र प्रहलाद मीना निवासी मलारना चौड, तहसील मलारना डूंगर।
2. नरसी पुत्र प्रहलाद मीना निवासी मलारना चौड, तहसील मलारना डूंगर।
3. राजेन्द्र पुत्र प्रहलाद मीना निवासी मलारना चौड, तहसील मलारना डूंगर।
4. राकेश पुत्र प्रहलाद मीना निवासी मलारना चौड, तहसील मलारना डूंगर।
5. लक्ष्मी पुत्री प्रहलाद मीना निवासी मलारना चौड, तहसील मलारना डूंगर।
6. कैलाशी पत्नी प्रहलाद मीना निवासी मलारना चौड, तहसील मलारना डूंगर।

......निगरानीकर्ता

बनाम

1. संजय कुमार पुत्र बाबूलाल सोनी निवासी मलारना चौड तहसील मलारना डूंगर।
2. ग्राम पंचायत मलारना चौड जरिये सरपंच ग्राम पंचायत मलारना चौड तहसील मलारना डूंगर जिला सवाई माधोपुर।

............विपक्षीगण

उपस्थित – वकील निगरानीकर्त्ता श्री संजय शर्मा एडवोकेट
वकील अप्रार्थी सं. 1 श्री गोविन्द प्रसाद गुप्ता एडवाकेट

निर्णय

दिनांक 04.11.2025

निगरानीकर्ता द्वारा यह निगरानी ग्राम पंचायत मलारना चौड द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.11.2009 के विरूद्व प्रस्तुत की गयी जिसके द्वारा मिसल संख्या 82/2007 दायरी 05.07.2007 से अप्रार्थी संख्या 1 संजय कुमार पुत्र बाबूलाल सोनी निवासी मलारना चौड के नाम जारी आलोच्य पट्टा संख्या 10 दिनांक 20.11.2009 को अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी करने पर उक्त ग्राम पंचायत मलारना चौड के आलोच्य आदेश को निरस्त करने हेतु पेश की गई।

निगरानी पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जरिये नोटिस की गयी अप्रार्थी सं. 1 जरिये अधिवक्ता उपस्थित आये। अदालत मातहत से मूल पत्रावली चाही जाने पर ग्राम पंचायत मलारना चौड के पत्रांक 760 दिनांक 18.08.2025 के द्वारा मूल रोकड़ बही 2009–10, पट्टा बुक एवं रसीद बुक संलग्न प्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गयी।

वकील निगरानीकर्ता ने निगरानी में वर्णित तथ्यों की ओ[illegible]में तर्क दिया है कि विवादित कृषि भूमि ख0नं0 6742/7744 रकबा 0.08 है0, ख0नं0 6[illegible] रकबा 0.20 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.28 है0 कि0गै0मु0 आबादी में प्रार्थीगण के पि[illegible]हलाद

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Sharma
Date: 2025.12.11 10:43:06 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलेक्टर

पुत्र भोरया मीना के नाम से खाता संख्या 392 जमाबंदी संवत् 2063 में दर्ज थी। विवादित आबादी भूमि मेगा हाईवे रोड लालसोट से सवाई माधोपुर मुख्य सडक पर स्थित है। विवादित पट्टे में अंकित कृषि भूमि का प्रार्थीगण ने एवं प्रार्थीगण के पिता ने कभी विक्रय विलेख विपक्षी संख्या एक के पक्ष में तहरीर नहीं किया। इसलिये विवाद ग्रस्त पट्टा आधारहीन होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है क्योंकि विपक्षी संख्या 1 ने ग्राम पंचायत मलारना चौड से साज करके फर्जी दस्तावेजों के आधार पर आवासीय पट्टा प्राप्त किया है जिसकी जानकारी प्रार्थीगण को अपर जिला न्यायाधीश सवाई माधोपुर के यहां विचाराधीन वाद पत्र में दिनांक 05.09.2024 को जवाब पेश करने के आधार पर हुई। इससे पूर्व प्रार्थीगण को फर्जी पट्टे के बाबत कोई जानकारी नहीं थी। प्रार्थी संख्या एक ने ग्राम पंचायत मलारना चौड में दिनांक 05.09.2024 को विपक्षी संख्या एक के नाम की पत्रावली संख्या 82/2007 की नकल लेने के लिये आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत ने विवादग्रस्त पट्टे की प्रमाणित प्रति दिनांक 23.09.2024 को उपलब्ध करवायी गयी एवं पट्टे से संबंधित पत्रावली उपलब्ध नहीं होना जाहिर किया इसलिये विवादग्रस्त पटटे के आधार पर ही निगरानी पेश की गई थी। विवादग्रस्त फर्जी पटटे की प्रमाणित फोटाप्रति दिनांक 23.09.24 को ग्राम पंचायत द्वारा उपलब्ध करवाये जाने पर अन्दर मियाद निगरानी पेश की गई थी। वकील निगरानीकर्ता ने यह भी तर्क दिया कि अप्रार्थी सं0 1 ने उक्त विवादित भूमि रामजीलाल से क्रय करना बतलाया है जबकि रामजीलाल ने स्वयं उक्त विवादित भूमि निगरानीकर्ताओं के नाम होना कथन किया है। उक्त भूमि आबादी भूमि से लगती हुई है। उक्त भूमि ग्राम पंचायत की भूमि नहीं है तो ग्राम पंचायत द्वारा पटटा क्यों जारी किया गया है। वकील निगरानीकर्ता ने यह भी तर्क दिया कि अप्रार्थी सं0 1 द्वारा उक्त विवादित पट्टा फर्जी तरीके से बनाया गया है जबकि सरपंच चमेली देवी ने यह माना है कि उक्त विवादित पट्टा उनके द्वारा जारी नहीं किया गया है। एक ही प्रोपर्टी के तीन विक्रय इकरारनामा अवैध रूप से बनाये गये है। रामजीलाल को 100 रू0 के स्टाम्प पर विक्रय पत्र बनाया गया है जिसकी नोटेरी नहीं हो रही है। खरीददार के हस्ताक्षर नहीं है। अन्त में वकील निगरानीकर्ता ने ग्राम पंचायत मलारना चौड द्वारा पारित आलोच्य आदेश दिनांक 20.11.2009 व इसके आधार पर जारी किया गया पट्टा संख्या 10 विधि विरूद्व होने से निरस्त करने हेतु निवेदन किया गया।

वकील विपक्षी संख्या 1 ने वकील निगरानीकर्ता की बहस का खण्डन करते हुये बहस में तर्क दिया है कि ग्राम पंचायत मलारना चौड द्वारा अप्रार्थी सं0 1 को उक्त विवादित भूखण्ड का पट्टा संख्या 10 आदेश दिनांक 20.11.2009 जारी किया गया है। उक्त भूखण्ड को पूर्व में निगरानीकर्ता के पिता प्रहलाद मीना ने रामजीलाल हरिजन पुत्र प्रभू हरिजन निवासी मलारना चौड को दिनांक 07.06.2002 को विक्रय कर विक्रय पत्र तहरीर करवा रखा था। उक्त हरिजन को ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 15.09.2004 को पटटा भी जारी कर दिया था। उक्त भूखण्ड को अप्रार्थी संख्या 1 के पिता ने रामजीलाल पुत्र प्रभू हरिजन से खरीद कर उसकी विक्रय राशि 50,000/– रूपये जरिये डी.डी. दिनांक 20.4.2007 भुगतान कर दिया था। रामजीलाल का मूल विक्रय पत्र पर अप्रार्थी सं0 1 की मॉ श्रीमती पार्वती देवी का नाम विक्रय

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Sharma
Date: 2025.12.11 10:43:06 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलेक्टर

करना अंकित करवा कर मूल विक्रय पत्र प्राप्त कर लिया था। रामजीलाल हरिजन से खरीदने के पश्चात उक्त विवादित भूखण्ड पर निर्माण शुरू करने पर मूल विक्रेता प्रहलाद मीना ने विवाद किया तथा उल्टे सीधे केसों में फंसाने की धमकी दी तो लोगो को इक्कठा करने पर राजीनामा किया पुनः एक लाख रूपये प्रहलाद मीना को अदा कर दिनांक 12.02.2008 को नये सिरे से विक्रय पत्र प्रहलाद मीना से अप्रार्थी संख्या 1 के नाम कराया तथा नियमानुसार पंचायत से पटटा प्राप्त किया। निगरानीकर्ता द्वारा माननीय न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश सवाई माधोपुर में टी.आई. प्रा0पत्र पेश किया था जिसे माननीय न्यायालय ने आदेश दिनांक 07.01.2025 से टी.आई.प्रा0पत्र खारिज कर दी। माननीय न्यायालय द्वारा उक्त विवादित भूखण्ड की मौका रिपोर्ट पेश करने हेतु मौका कमीश्नर नियुक्त किया था। मौका कमीश्नर की मौका रिपोर्ट में भी अप्रार्थी संख्या 1 का उक्त विवादित भूखण्ड पर कब्जा माना है। निगरानीकर्ता संख्या 1 द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 के विरूद्ध थाना मलारना डूंगर में उक्त विवादित भूखण्ड के संबंध में एक एफआईआर दर्ज कराई थी जिस पर जांच अधिकारी द्वारा जांच की जाकर एफआर लगा दी। उक्त जांच में तत्कालीन सरपंच चमेली देवी के बयानों से उक्त पटटे पर सरपंच चमेली देवी के हस्ताक्षर होना प्रमाणित होना है। उक्त समस्त अनुसंधान में पाया कि बाबूलाल सोनी द्वारा उक्त प्लाट को दिनांक 20.04.2007 को रामजीलाल हरिजन से खरीदा तथा दिनांक 12.02.2008 को प्रहलाद मीणा द्वारा [illegible] करने पर प्रहलाद मीणा को भी एक लाख रूपये दे दिये जिसका एग्रीमेन्ट [illegible] प्रहलाद की मृत्यु दिनांक 19.08.2016 को हो गई तथा प्लाट बेचने [illegible] साल तक जीवित रहा लेकिन उक्त अवधि में प्रहलाद मीणा द्वारा [illegible] खिलाफ कोई दावा व कानूनी कार्यवाही नहीं की। यदि विपक्षी द्वारा गलत तरीके से प्लाट पर कब्जा किया जाता तो निश्चित ही प्रहलाद द्वारा विपक्षी के खिलाफ कार्यवाही की जाती तथा इस बात का पता निगरानीकर्ता को भी था, लेकिन निगरानीकर्ता द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई तथा प्रहलाद की मृत्यु के बाद जमीन की कीमतों में वृद्धि हो गई तो निगरानीकर्ता के मन लालच आ गया तथा और रूपए ऐंठने के लिये विपक्षी के खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज करवा दिया। वकील अप्रार्थी सं0 1 ने यह भी तर्क दिया कि निगरानीकर्ता ने ग्राम पचायत का कार्यवाही विवरण फर्जी तैयार किया है। जिसमें ग्राम पंचायत मलारना चौड की पंचायत समिति बामनवास दर्शा रखी है। कार्यवाही विवरण एक पेज का है जिस पर सरपंच के हस्ताक्षर नहीं है। जबकि अप्रार्थी सं0 1 द्वारा पेश की गई कार्यवाही विवरण में ग्राम पंचायत मलारना चौड की पंचायत समिति बौंली है। कार्यवाही विवरण पर सरपंच के हस्ताक्षर है। अतः निगरानीकर्ता द्वारा पेश की गई निगरानी खारिज की जावें।

उभय पक्ष की बहस सुनने पत्रावली में सलंग्न दस्तावेजात का ध्यान पूर्वक अध्ययन एवं मनन करने के पश्चात मै इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि निगरानीकर्ता द्वारा यह निगरानी विपक्षी संख्या 1 को ग्राम पंचायत मलारना चौड द्वारा जारी किये गये पटटा संख्या 10 दिनांक 20.11.2009 को निरस्त करने हेतु पेश की गई है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों तथा उभय पक्ष द्वारा पेश किये गये दस्तावेजातों के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि अप्रार्थी संख्या 1 ने

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Sharma
Date: 2025.12.11 10:43:06 IST
Reason: SelfAttested

दिनांक 12.02.2008 को प्रहलाद मीणा को एक लाख रूपये दे दिये तथा अप्रार्थी सं0 1 के नाम एग्रीमेन्ट करवाया गया एवं नियमानुसार ग्राम पंचायत से पटटा संख्या 10 दिनांक 20.11.2009 प्राप्त किया। उक्त विवादित भूखण्ड को बेचने के बाद विक्रेता प्रहलाद लगभग 8 साल तक जीवित रहा लेकिन उक्त अवधि में प्रहलाद मीणा द्वारा विपक्षी के खिलाफ कोई दावा व कानूनी कार्यवाही नहीं की। यदि अप्रार्थी सं01 द्वारा गलत तरीके से प्लाट पर कब्जा किया जाता तो निश्चित ही प्रहलाद द्वारा अप्रार्थी सं01 के खिलाफ कार्यवाही की जाती तथा इस बात का पता निगरानीकर्ता को नहीं हो इस बात पर संशय है। निगरानीकर्ता ने ऐसा कोई ठोस प्रमाण पेश नहीं किया है जिससे अप्रार्थी सं0 1 को जारी किया गया पटटा फर्जी साबित होता हो जबकि निगरानीकर्ता द्वारा अप्रार्थी सं0 1 के विरूद्ध करवाई गई एफआईआर दिनांक 12.12.2024 की बाद अनुसंधान लगायी गई एफआर दिनांक 12.07.2025 से भी यह स्पष्ट होता है कि तत्कालीन सरपंच श्रीमती चमेली के बयान लेने पर स्वयं चमेली द्वारा उक्त विवादित भूखण्ड का पटटा जारी करना बताया है।

अतः उक्त विवेचन के आधार निगरानीकर्ता द्वारा पेश की गई निगरानी खारिज फरमायी जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 20.11.2009 बहाल रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 04.11.2025 को लिखाया जाकर न्यायालय मे सुनाया गया।

(संजय शर्मा)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
सवाईमाधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Sharma
Date: 2025.12.11 10:43:36 IST
Reason: SelfAttested